UPPG010013132026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे .एस.)
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 474/2026

ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ महन्थे उम्र लगभग 48 साल सुत वासदेव पाण्डेय
निवासी ग्राम सिरखोरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

... ... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 23/2026
धारा– 109(1), 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना– अन्तू ,**जिला**–प्रतापगढ़।

1. प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ महन्थे की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–23/2026, धारा–109(1), 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के केस में जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ महन्थे का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–390/2026, दिनांक 16.02.2026 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त हुआ था।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय के अभिकथन किये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह है, उसे उक्त मुकदमें में असत्य कथनों के आधार पर हैरान व परेशान करने के लिए स्थानीय राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 24 घंटे बाद विलम्ब से लिखायी गयी है, विलम्ब का कोई तार्किक उत्तर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण की संख्या –03 है व तीन हथियार द्वारा घटना कारित करना कहा गया है जिसमें धारदार कुल्हाड़ी, लोहे की राड व डण्डा दर्शाया गया है जबकि आहत आख्या में चोटहिल धीरेन्द्र पाण्डेय के बदन पर तीन चोटें डॉक्टर द्वारा दर्शायी गयी है, जो कुन्दालय द्वारा आना बताया गया है। चोटहिल को तथाकथित घटना के समय बेहोश होना बताया गया है जबकि आहत आख्या में चोटहिल की स्थिति सामान्य बतायी गयी है, बेहोश होना नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी के निशादेही पर कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी को घर से थाना अन्तू की पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया और मारपीट कर प्रार्थी को उक्त मुकदमें में चालान कर दिया। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

4. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

5. प्रश्नगत प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन घायल के चचेरे भाई द्वारा थाने पर दर्ज करायी गयी थी जिसमें प्रार्थी /अभियुक्त तथा उसके पुत्र व पुत्री को अभियुक्त के तौर पर नामित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथन के अनुसार क्रिकेट खेलते समय गेंद प्रार्थी/अभियुक्त की दुकान पर चला गया, जहां से घायल धीरेन्द्र पाण्डेय

Digitally signed by RAJIV KAMAL PANDEY
Date: 2026.03.06 15:50:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा गेंद मांगे जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गयी तथा गेंद देने से मना किया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त व उसके पुत्र व पुत्री द्वारा धीरेन्द्र पाण्डेय को मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल धीरेन्द्र पाण्डेय के सिर पर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आने का कथन किया गया है। घायल की आघात आख्या में उसके शरीर पर एक फटा घाव सिर के पैराइटल क्षेत्र में 5 X 2cm तथा एक फटा घाव 4 X 2cm रीड की हड्डी के पास आना बताया गया है तथा एक नीलगू निशान तथा खरोच या खरास 3 X 2cm दाहिने कलाई पर भी आना बताया गया है। आघात आख्या में उक्त सभी चोटें कठोर व कुन्दालय से आना बताया गया है तथा उक्त चोटों के सापेक्ष हुये एक्सरे में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की निशान देही पर कोई हथियार बरामद किया जाना अभिकथित नहीं है। घायल के सिर पर आई चोट की गहराई आघात आख्या में स्पष्ट नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.01.2026 से ही न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ महन्थे** की तरफ से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–474/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक जमानत, संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e–prison software में करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

दिनांकः 06.03.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP 2020